

स0 स0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

नई दिल्ली-29 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान

झज्जर

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक मे लिये निर्णय के अनुरूप आपके सरथान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	सगीता कुमारी पति— विजय कुमार केशरी ग्राम— महाशय जी का गोदाम अदरपुल पार आरा पो— चौक आरा थाना— आरा जिला— भोजपुर यूएचआईडी न0— 106791120	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			1,00,000	

नोट :- अनुदान राशि का चेक “NCI PATIENT TREATMENT” के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000 /— (एक लाख) रूपये का क्रास चेक स0 .. 196831 ..... मूल रूप मे सलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियो का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियो को परेशान नही किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें।

बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक ५६७(१४)

पटना, दिनांक 24/2/2028 -

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ संबंधित मरीज /आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

X  
प्रमुख  
निदेशक प्रमुख

सं0 स0 14 / एम 11-1 / 2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा मे

निदेशक,

Lok Manya Tilak Municipal General Hospital &  
Medical College Sion,  
Mumbai - 400022

पटना, दिनांक .....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक मे लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरस्थान मे चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजं को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियो के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 मे अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दो में
1	2	3	4	5
1	अकित कुमार राजु मडैया पिता—राजु मडैया ग्राम—शिकारगांज पो०—महुआर थाना—मनिहारी जिला—कटिहार	बोन गैरो ट्रास्प्लाट	5,00,000	पाँच लाख स्वीकृत।
			₹ 5,00,000/-	

नोट :- चेक DEAN, PBCF, L.T.M.G. HOSPITAL के नाम से निर्गत है।

- उक्त अनुदान की कुल राशि 5,00,000/- (पाँच लाख) का क्रास चेक सं0.....196835..... मूल रूप मे संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ करे। अनावश्यक रोगियो को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र मे किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले मे किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 21/2/2025

ज्ञापाक ५६१(१४)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वारथ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई (टी) मैनेजर, स्वारथ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



सं0 सं0 14 / एम 11-1 / 2025  
 निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
 बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,  
 निदेशक प्रमुख  
 सेवा में,  
 निदेशक,  
**Bhagwan Mhaveer Cancer  
 Hospital & Research Centre,  
 Jawahar Lal Nehru Marg,  
 Jaipur 302017, Rajasthan**

पटना, दिनांक... . . .

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 19.02.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सरकारी स्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अब्दुल रहमान पिता- मो० जलील ग्राम- तिवारी मठिहनियॉ पो०- सिपाया थाना- विश्वभरपुर जिला- गोपालगंज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 80,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि 80,000/- (अस्सी हजार) का क्रास चेक सं0...196836..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत करें। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी होगी।



5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करें। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम-“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-


(डॉ प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

पटना, दिनांक 24/2/2025-

ज्ञापांक ५६२(१४)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे) / आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख  
24/2/2025